रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264790
CG-DL-E-18072025-264790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
No. 434] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सं. 33/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 477(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जिसे सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)
"10क.	पोलो के घोड़े	(क) यदि निम्न में से किसी के द्वारा आयात किया गया हो: (i) भारतीय सेना एवं भारतीय नौसेना की पोलो टीमें; (ii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की पोलो टीमें; (iii) ऐसी असैन्य पोलो टीमें, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (14 गोल) या भारतीय पोलो संघ (IPA) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य 14 गोल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया हो; (iv) व्यक्तिगत खिलाड़ी (पुरुष एवं महिला), जो भारतीय पोलो संघ (IPA) के गत पांच वर्षों से सक्रिय सदस्य रहे हों, और निम्नलिखित श्रेणियों में आते हों: 1. वरिष्ठ पुरुष खिलाड़ी — जिनका हैंडीकैप +1 या उससे अधिक हो; 2. वरिष्ठ महिला खिलाड़ी — जिनका हैंडीकैप –1 या उससे अधिक हो; 3. कनिष्ठ पुरुष खिलाड़ी — जिन्होंने जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और विजेता या उपविजेता टीम के खिलाड़ी सदस्य रहे हों; 4. कनिष्ठ महिला खिलाड़ी — जिन्होंने जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और शीर्ष चार टीमों में से किसी की खिलाड़ी सदस्य रही हों। (ख) आयातक, माल के आयात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के उप सचिव या उससे उच्च पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे— (i) आयातक का नाम एवं पता; (ii) उक्त माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य; (iii) आयातक निम्नलिखित मात्रा सीमा और आयात की आवृत्ति की शर्तों को पूर्ण करता है: 1. टीमों के मामले में, हर 2 वर्षों में अधिकतम 30 घोड़े; 2. व्यक्तिगत खिलाड़ियों के मामले में, हर 3 वर्षों में अधिकतम 6 घोड़े; और (ग) उक्त आयात, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लगाए गए अनुज्ञापन शर्तों के अधीन होंगे।"

2. यह अधिसूचना 19 जुलाई, 2025 से प्रभाव में आएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190355/24/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 146/94-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 को सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2023 जिसे सा.का.नि. 75(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

No. 33/2025-Customs

G.S.R. 477(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 575 (E), dated the 13th July, 1994, namely: -

In the said notification, in the TABLE, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"10A.	Horses for polo	(a) If imported by, (i) Polo Teams of Indian Army & Indian Navy; (ii) Polo teams of Central Armed Police Forces; (iii) Civilian polo teams that have participated in the Indian National Championship (14 Goals) or any other 14 Goal level tournament recognized by the Indian Polo Association (IPA); (iv) Individual Players- (male & female) who have been active members of the Indian Polo Association (IPA) for at least five years, falling under the following categories: A. Senior Players (Male) +1 handicap & above; B. Senior Players (Female) -1 handicap & above; C. Junior Players (Male)-Should have participated in Junior National Championship and been a playing member in the winner or runners-up team; D. Junior Player (Female). Should have participated in the Junior National Championship and been a playing member in the top four teams; (b) The importer, at the time of importation of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, from an officer not below the rank of

		Deputy Secretary in the Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India indicating– (i) the name and address of the importer; (ii) the description, quantity and value of the said goods; (iii) that the importer satisfies the following conditions regarding quantity limit and periodicity of import: A. in case of teams, up to 30 horses every 2 years; B. in case of individual players, up to 6 horses every 3 years; and (c) the imports are subject to the licensing conditions imposed by Directorate General of Foreign Trade."

2. This notification shall come into force from 19th July, 2025.

[F. No. CBIC-190355/24/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended *vide* notification No. 10/2023-Customs, dated the 1st February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.07.18 19:00:55 +05'30'